

स्वायत्त उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपारान जिला - विरौडगाढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी ; ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल -

शोलाया

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 21/1/25

दायर दिनांक 22.9.25

निर्णय दिनांक 22/09/25



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट			कायदा उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर कपारान आदेश
1	<u>शोलाया</u>	<u>179</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुलाहिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि	तहसीलादार कपारान को अनुयाय स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अनुयाय राजस्व रकॉर्ड में ग्राम <u>शोलाया</u> पट्टे <u>शोलाया</u> खालस <u>179</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रकॉर्ड में अन्तर्गत दर्ज करने के आदेश दिया जाता है।
			स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया	दत्त लक्ष्मण कलक्टर कपारान	
			हरसाक्षर <u>हरसाक्षर</u>	हरसाक्षर <u>हरसाक्षर</u>		

प्रतिनिधि पालनाथ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल

शोलाया

को गेजावर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रकॉर्ड में अन्तर्गत दर्ज करें।

तहसीलदार(भू.अ.) कपारान

तहसीलदार कपारान

स्वायत्त कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपारान जिला-विरौडगाढ